ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6173/2005/टोंक** **नारायण व अन्य बनाम केसरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

——

निर्णय

दिनांकः— 09.10.2024

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2003 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के समक्ष एक राजस्व वाद वास्ते इस्तकरार हक, उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तेनाई विरूद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजीयात का वादीगण/प्रार्थीगण को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त की जाकर तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया। दौराने वाद वादीगण/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए क्रेतागण को वाद में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 13 व 14 बनाए गए। तत्पश्चात् वादीगण/प्रार्थीगण ने एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत वास्ते वाद में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.11.2005 द्वारा खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6173/2005/टोंक** **नारायण व अन्य बनाम केसरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक जमाबंदी में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज थी जबकि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होने के कारण गैरकानूनी रूप से प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 12 के हक में खसरा नंबर 3085, 3086, 3090 व 3103 तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 13 के हक में खसरा नंबर 3126 का विक्रय करवा चुके जिसकी जानकारी वादीगण/प्रार्थीगण को होना कतई संभावी नहीं थी। उक्त विक्रय पत्र गोपनीय रूप से अर्थात् जिसकी जानकारी वादीगण/प्रार्थीगण को नहीं थी। वादीगण/प्रार्थीगण की मुख्य दादरसी उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज की है। विवादित आराजीयात का प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है अवैध विक्रय पत्र से वादीगण के हित प्रभावी होता है। वाद पत्र में जो पूर्व में जो अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध चाहा गया जबकि भूमि का विक्रय कर देने के कारण व जमाबंदी में उनके नाम दर्ज होने से उक्त विक्रय शुदा आराजी खसरा नंबरों का अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 12 व 13 हेतु वाद में संशोधित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 14 में 14 (क) (ख) वाद पत्र की चरण संख्या 17 अनुतोष खण्ड(ब) में तथा 17 (स) के बाद (द) प्रार्थना पत्र के कथनानुसार संशोधन किए जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाईण्डिग दी गई कि उपरोक्त संशोधन से मूल वाद की प्रकृति एवं अनुतोष ही बदल जाएगी जबकि वादीगण/प्रार्थीगण ने जो संशोधन वाद पत्र में चाहा गया जिससे वाद पत्र की कोई प्रकृति एवं अनुतोष कतई ही बदलाव नहीं है तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। यदि वाद पत्र में संशोधित नहीं किए जाने से प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के विरूद्ध वादीगण की दादरसी प्राप्त नहीं होगी इसलिए वादीगण/प्रार्थीगण के न्यायहित के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार	

ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6173/2005/टोंक** **नारायण व अन्य बनाम केसरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1986 को ही खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं उसी वर्ष राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका था तब से काबिज चले आ रहे हैं तथा कथित जमाबंदी में इसका अंकन है। इन तथ्यों की अनदेखी कर वादी ने वाद दिनांक 03.08.90 में प्रस्तुत किया। वाद 16 वर्ष से लंबित है तथा वाद अंतिम बहस हेतु नियत है। वादी द्वारा वाद में देरीना करने की नियत से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 के माध्यम से वादपत्र के चरण संख्या 14 के आगे 14–क जोड़ने का कथन इस आधार पर किया गया है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 3085, 3103, 3086 व 3090 का विक्रय पत्र चतुर्भुज पुत्र गेंदीलाल जाट तथा खसरा नंबर 3126 का विक्रय पत्र गोपाल पुत्र मेवा के नाम तहरीर कराए गए है। उक्त विक्रय पत्र शून्य एवं एब–इनशियो–वॉयड होने से उनके नाम के अंकन को निरस्त किया जावें, इसी प्रकार वाद पत्र में चरण संख्या 14–ख जोड़ा जाने एवं वाद पत्र के चरण संख्या 17 में चाहे गए अनुतोष में संशोधन कराने की मांग की गई थी। इस संबंध में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 का अवलोकन किया जिसमें अभिलिखित किया गया है कि– "Amendment of pleadings- The court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadingsin such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties;

ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6173/2005/टोंक** **नारायण व अन्य बनाम केसरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.'' इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 के माध्यम से केवल मात्र अभिवचन में संशोधन के प्रावधान निहित किए गए हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 के माध्यम से वादपत्र के चरण संख्या 17 के अनुतोष के खण्ड ब में संशोधन की मांग की गई है जो कि आदेश 6 नियम 17 की परिधि में नहीं होने एवं उक्त अनुतोष के माध्यम से मूल वाद की प्रकृति परिवर्तित होने एवं विधि द्वारा बाधित होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 यथावत् रखा जाता है। तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	